न्यायालय जिला कलक्टर अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/159/2023	03-02-2023	03-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनाक 02.03.2022

उपस्थितः-
01- श्री दीपक मीना -राजकीय अभिभाषक
02- श्री .... -वकील अप्रार्थीगण

-::निर्णय::-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/2973 दिनांक 02.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 661 रकबा 2.88 है0 किस्म बंजड में से 1.25 है0 वाके ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर भूमि का आवंटी हरिराम पुत्र देवल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी का आवंटनशुदा आराजी पर बुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई, अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /2973 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश कमांक प0 12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक

01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी अभिशंषा अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को निरस्त फरमावे। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी का आवंटनशुदा आराजी पर बुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जॉच रिपोर्ट प्रस्तावित आराजी का साबिक खसरा नं0 425 संवत 2020 में गैर मुमकिन पहाड़, संवत 2012 में साबिक खसरा नं0 137 गैर मुमकिन पहाड़ जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निमार्ण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती हैं। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है । प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम मे या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यायल पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत् प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/2973 दिनांक 02.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/2021–22 /2973 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
अलवर, (राज०)